

[2011] 5 एस.सी.आर. 243

आयुक्त, चेन्नई नगर निगम

बनाम

आर. शिवशंकर मेहता एवं एक अन्य

(2005 की दीवानी अपील संख्या 5740-5741)

13 अप्रैल, 2011

[अशोक कुमार गांगुली एवं स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्तिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 :

धारा 48, और धारा 48-ख (भूमि अधिग्रहण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1996 द्वारा अंतःस्थापित) - अधिग्रहित भूमि की मुक्ति - 1949 में अधिग्रहित और नगर निगम को हस्तांतरित भूमि - सरकार ने 19.3.1995 के आदेश द्वारा, भूमि के एक हिस्से को भू-स्वामियों को वापस सौंपने का निर्देश दिया - हालांकि, इसके बाद, 25.7.1995 के आदेश द्वारा, 10.3.1995 के आदेश को रद्द कर दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा भू-स्वामियों की रिट याचिका स्वीकार की गई - अभिनिर्धारित: जब 10.3.1995 को वापस सौंपने का आदेश दिया गया था, तब अधिनियम की धारा 48 प्रभावी थी - धारा 48 के प्रावधानों के तहत भू-स्वामियों को 1995 में भूमि वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि कब्जा 1949 में ले लिया गया था और भूमि 1962 में सरकार में निहित हो गई थी - इसके अलावा, सरकार ने भूमि निगम को देकर स्वयं को इससे विनिवेशित कर लिया था - अतः, पिछली वापसी को रद्द करने में सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता। - धारा 48-ख का संचालन पूर्वव्यापी नहीं है - धारा 48-ख के तहत भूमि को मुक्त करने से पहले भी, सरकार को संतुष्ट होना चाहिए कि भूमि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है - निगम को पार्किंग स्थान के लिए भूमि की आवश्यकता है, जो निश्चित रूप से एक

सार्वजनिक उद्देश्य है - धारा 48 के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए, वचन विबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जो कि एक साम्यिक सिद्धांत है और इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है - वचन विबंध - साम्य।

उत्तरदाताओं की भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत जारी 3.1.1949 की अधिसूचना के अनुसरण में किया गया था। संदर्भ कार्यवाही में बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त करने पर, भू-स्वामियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। अधिग्रहित भूमि 1962 में धारा 16 के तहत राज्य में निहित हो गई। 1995 में उत्तरदाताओं ने भूमि के एक हिस्से को मुक्त करने/वापस सौंपने के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि अपीलकर्ता-निगम इसका उपयोग नहीं कर रहा था। सरकार ने 10.3.1995 के अपने आदेश द्वारा निगम को 5 ग्राउंड और 416 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली भूमि का एक हिस्सा पूर्व-मालिक श्रेणी के तहत भू-स्वामियों या उनके कानूनी वारिसों या नामांकित व्यक्तियों को वापस सौंपने का निर्देश दिया। निगम ने उक्त भूमि का पार्किंग स्थान के रूप में उपयोग करने के लिए सरकार को एक आवेदन दिया। तदनुसार, सरकार ने 25.7.1995 के आदेश द्वारा 10.3.1995 को पारित वापसी के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने धारा 48-ख के प्रावधानों का उल्लेख किया, जिसे भूमि अधिग्रहण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 1996 द्वारा पेश किया गया था, और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। व्यथित होकर, निगम ने अपील दायर की।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1 स्वीकार्य रूप से, धारा 48-ख वर्ष 1997 में भूमि अधिग्रहण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1996 (जो कि 1997 का अधिनियम 16 है) द्वारा कानून की किताब में आई। उक्त अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति 14.3.1997 को प्राप्त हुई थी।

धारा 48-ख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसका संचालन पूर्वव्यापी नहीं है। उक्त प्रावधान, जो धारा 48 से अलग है, केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू हो सकता है। [कंडिका 7 और 8] [249-च-छ; 250-ख]

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम कीरावनी अम्मल और अन्य, 2007 (3) एस.सी.आर. 1062 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1691 – संदर्भित।

1.2 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 तब प्रभावी थी जब राज्य सरकार द्वारा 10-3-1995 के अपने आदेश के माध्यम से कथित तौर पर भूमि वापस सौंपने का आदेश दिया गया था। मूल अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के तहत, उत्तरदाता (ओं) को 1995 में भूमि वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह पक्षों का स्वीकृत मामला था कि संपत्ति का कब्जा राज्य द्वारा 1949 में ही ले लिया गया था जब अधिनिर्णय पारित किया गया था और भूमि 1962 में राज्य सरकार में निहित हो गई थी। उसके बाद इसे निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। मामले का यह पहलू, जो प्रश्न की जड़ तक जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। [कंडिका 11-12] [250-ड; 251-ग-घ]

1.3 यह मान लेने पर भी कि 1995 में जब भूमि वापस सौंपने का आदेश दिया गया था, तब धारा 48-ख उपलब्ध थी, तब भी उत्तरदाता (ओं) का कोई मामला नहीं बनता है। इस न्यायालय द्वारा एल. चंद्रशेखरन के मामले* में दिए गए एक हालिया निर्णय में यह माना गया है कि धारा 48-ख के तहत मुक्ति का आदेश दिए जाने से पहले, सरकार को यह संतुष्ट होना चाहिए कि जिस भूमि को मुक्त किया जाना है, उसकी आवश्यकता उस उद्देश्य के लिए नहीं है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-निगम के इस प्रतिवेदन को देखते हुए ऐसी शर्त पूरी नहीं हुई है कि उन्हें चेन्नई शहर में कारों की बढ़ती

आबादी के मद्देनजर पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से एक सार्वजनिक उद्देश्य है। मेट्रो रेल की ओर से इस आशय का एक हलफनामा दायर किया गया है कि सरकार अपनी चल रही परियोजना के लिए उक्त भूमि के उपयोग पर विचार कर रही है, जो कि फिर से, एक सार्वजनिक उद्देश्य ही है। [कंडिका 13-16] [251-घ-ज; 252-क]

* तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम एल. चंद्रशेखरन (मृत) विधिक प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से, 2010 (2) एस.सी.सी. 786 - पर भरोसा किया गया।

1.4 आगे, भूमि अब सरकार में निहित नहीं है क्योंकि उसने इसे निगम को सौंपकर स्वयं को विनिवेशित कर लिया है। इसलिए, एल. चंद्रशेखरन मामले में बताई गई शर्तें वर्तमान मामले में पूरी नहीं होती हैं। अतः, राज्य सरकार द्वारा भूमि वापसी के अपने पिछले आदेश को रद्द करने में शक्ति के प्रयोग में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है। [कंडिका 17] [252-ख]

1.5 इसके अलावा, एल. चंद्रशेखरन मामले में, इस न्यायालय ने माना था कि यदि कोई भूमि वापसी की जानी है, तो वह बाजार मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। सरकार द्वारा शुरू में दिया गया भूमि वापसी का कथित आदेश भी उस आधार पर नहीं दिया गया था। [कंडिका 20] [253-क-ख]

1.6 रिट याचिकाओं में दुर्भावना या विकृति का कोई मामला नहीं बनाया गया है। दुर्भावना का मामला बनाने के लिए विवरण के साथ विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया है उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है। [कंडिका 18-19] [252-ग; छ-ज]

1.7 मामले के तथ्यों में, वचन विबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो कि एक

साम्यिक सिद्धांत है। मूल अधिनियम की धारा 48 के स्पष्ट प्रावधान के संदर्भ में, जो 1995 में प्रभावी था जब कथित तौर पर भूमि वापसी का आदेश दिया गया था, साम्य का कोई अनुप्रयोग नहीं है। न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के संचालन की कोई गुंजाइश है जब इसके उल्लंघन की शिकायत करने वाला व्यक्ति अपना कोई ऐसा अधिकार नहीं दिखा सकता जिसका उल्लंघन हुआ हो। मामले के दिए गए तथ्यों और मूल अधिनियम की धारा 48 के स्पष्ट अधिदेश को देखते हुए, भू-स्वामियों का ऐसी भूमि के लिए वापसी का आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं दिखता है जो बहुत पहले सरकार में निहित हो चुकी थी। [कंडिका 21] [253-ख -घ]

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को बनाए रखने का कोई कारण नहीं है और उसे अपास्त किया जाता है। [कंडिका 22-23] [253-ड-च]

नज़ीर संदर्भ :

2007 (3) एस.सी.आर. 1062	संदर्भित	कंडिका 10
2010 (2) एस.सी.सी. 786	भरोसा किया गया	कंडिका 14

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2005 की दीवानी अपील संख्या 5740-5741।

मद्रास स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 1999 की रिट अपील संख्या 2485 और 2487 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 18.1.2005 से।

के. राममूर्ति, प्रोमिला और एस. थानंजयन; अपीलकर्ता के लिए।

ध्रुव मेहता और आर. बालसुब्रमण्यम, ई.सी. अग्रवाल, पी.बी. सुरेश, विपिन नायर, विवेक शर्मा; श्रीराम कृष्ण (टेम्पल लॉ फर्म के लिए), वी. रामजगदीशन, करुणाकरण और सेंथिल जगदीशन (महालक्ष्मी बालाजी एंड कंपनी के लिए); उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

गांगुली, न्यायमूर्ति। 1. हमने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से पक्षकार बनाए जाने के लिए दायर अंतरिम आवेदन संख्या 5-6 को स्वीकार किया जाता है।

2. मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 18.1.2005 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए आयुक्त, चेन्नई नगर निगम हमारे समक्ष अपील में हैं, जिसके द्वारा खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने भू-स्वामियों जो यहाँ उत्तरदाता हैं, द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर विद्वान एकल न्यायाधीश के 24 सितंबर, 1999 के आदेश की पुष्टि की थी। इस मामले की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं कि 3 जनवरी, 1949 की अधिसूचना द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में विशेष सचिव, भूमि अधिग्रहण, मद्रास द्वारा एक अधिनिर्णय पारित किया गया था। यह निर्विवाद है कि संदर्भ कार्यवाही 1949 में ही शुरू की गई थी और बढ़ा हुआ मुआवजा प्राप्त करने के बाद, भू-स्वामियों ने इस चुनौती को आगे नहीं बढ़ाया। अधिनियम की धारा 16 के तहत, अधिग्रहित भूमि 1962 में सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो गई। इसके काफी समय बाद, 1995 में यहाँ उत्तरदाता(ओं) द्वारा 1949 में अधिग्रहित भूमि के एक हिस्से को मुक्त करने/वापस सौंपने के लिए इस आधार पर आवेदन किया गया कि अपीलकर्ता-निगम इसका उपयोग नहीं कर रहा था।

3. ऐसे प्रतिवेदन पर, सरकार ने 10 मार्च, 1995 के एक आदेश द्वारा अपीलकर्ता-निगम को आर.एस. संख्या 324/2 में 5 ग्रांड और 416 वर्ग फुट माप की भूमि के एक हिस्से को थिरुवलरगल आर. नीलकंठ मेहता और आर. शिवशंकर मेहता और उनके कानूनी वारिसों या उनके नामांकित व्यक्तियों को पूर्व-मालिक श्रेणी के तहत वापस सौंपने का निर्देश दिया, जो कि सरकार द्वारा 5 ग्रांड और 416 वर्ग फुट भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान

की गई मुआवजा राशि को ब्याज सहित वसूलने और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किया जाना था। उक्त आदेश पारित होने के बाद, अपीलकर्ता-निगम द्वारा सचिव, तमिलनाडु सरकार, एम.ए. और डब्ल्यू.एस. विभाग को एक प्रतिवेदन दिया गया कि शहर के उस हिस्से में यातायात में कई गुना वृद्धि को देखते हुए उक्त क्षेत्र का उपयोग वाहनों की पार्किंग के उद्देश्य के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसलिए, निगम के अनुरोध पर विचार करने हेतु वापसी से संबंधित अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया।

4. अपीलकर्ता-निगम के ऐसे प्रतिवेदन पर, तमिलनाडु सरकार ने 25 जुलाई, 1995 के एक आदेश द्वारा जी.ओ. एमएस. संख्या 45, एम.ए. और डब्ल्यू.एस. दिनांक 10 मार्च, 1995 में जारी वापसी के आदेश को रद्द कर दिया।

5. 25 जुलाई, 1995 के इस आदेश को यहाँ उत्तरदाता(ओं) द्वारा दो रिट याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रिट याचिकाएं स्वीकार कर लीं कि सरकार वचन विबंध के प्रावधानों से बाध्य है और इस तथ्य के कारण भी कि वापसी रद्द करने का आदेश भू-स्वामियों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय की कंडिका 17 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उद्धृत किया और निर्णय की कंडिका 19 में धारा 48-ख के प्रावधानों को उद्धृत किया जिसे तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 16) द्वारा पेश किया गया था। अंततः, खंडपीठ ने माना कि वापसी के अपने प्रारंभिक आदेश को रद्द करने का सरकार का निर्णय गलत है। इसलिए, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा और निगम की अपील को खारिज कर दिया तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की।

6. इन दोनों निर्णयों को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष विभिन्न तर्क दिए। हमारे समक्ष उठाया गया पहला प्रश्न यह था कि जिस समय सरकार द्वारा वापसी की प्रक्रिया की गई थी, उस समय धारा 48-ख अस्तित्व में नहीं थी।

7. स्वीकार्य रूप से, धारा 48-ख वर्ष 1997 में भूमि अधिग्रहण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1996 (जो कि 1997 का अधिनियम 16 है) द्वारा कानून की किताब में आई। उक्त अधिनियम पर राष्ट्रपति की सहमति 14 मार्च, 1997 को प्राप्त हुई थी।

8. धारा 48-ख इस प्रकार है:-

"48-ख. कुछ मामलों में मूल मालिक को भूमि का हस्तांतरण। - जहाँ सरकार संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत सरकार में निहित भूमि उस उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था, या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है, सरकार ऐसी भूमि उस मूल मालिक को हस्तांतरित कर सकती है जो ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए इस अधिनियम के तहत उसे भुगतान की गई राशि को चुकाने के लिए तैयार है, जिसमें धारा 23 की उप-धारा (1-क) और (2) में उल्लिखित राशि, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के तहत भुगतान की गई है, शामिल है।"

9. धारा 48-ख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इसका संचालन पूर्वव्यापी नहीं है। उक्त प्रावधान, जो धारा 48 से अलग है, केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू हो सकता है।

10. इस न्यायालय ने *तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम कीरावनी अम्मल और अन्य*, ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1691 में भी उस प्रावधान के अर्थ पर विचार किया। विद्वान न्यायाधीशों ने कीरावनी अम्मल (उपरोक्त) की कंडिका 11 में इस प्रकार माना:-

"तमिलनाडु राज्य में अधिनियम में शामिल की गई धारा 48-ख इस नियम का एक

अपवाद है। ऐसे प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए और इसकी शर्तों के सख्त अनुपालन पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या ऐसे प्रावधान की वैधता को चुनौती दी जा सकती है, इसका निर्णय हमें यहाँ नहीं करना है।"

11. इस संबंध में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 के प्रावधानों पर नज़र डालना आवश्यक है; जो 1995 में प्रभावी थी, जब राज्य सरकार द्वारा 10.3.1995 के अपने आदेश के माध्यम से कथित तौर पर वापसी का आदेश दिया गया था। अधिनियम की धारा 48 नीचे दी गई है:

"48. अधिग्रहण का पूरा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पूरा न होने पर मुआवजा दिया जाएगा।- (1) धारा 36 में दिए गए मामले को छोड़कर, सरकार किसी भी ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए स्वतंत्र होगी जिसका कब्जा नहीं लिया गया है।

(2) जब भी सरकार ऐसे किसी अधिग्रहण से पीछे हटती है, तो समाहर्ता नोटिस के परिणामस्वरूप या उसके तहत किसी भी कार्यवाही के परिणामस्वरूप मालिक को हुए नुकसान के लिए देय मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा, और ऐसी राशि संबंधित व्यक्ति को उन सभी लागतों के साथ भुगतान करेगा जो उक्त भूमि से संबंधित इस अधिनियम के तहत कार्यवाही चलाने में उसके द्वारा उचित रूप से खर्च की गई हैं।

(3) इस अधिनियम के भाग III के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, इस धारा के तहत देय मुआवजे के निर्धारण पर लागू होंगे।"

12. मूल अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के तहत, हमें खेद है कि उत्तरदाता(ओं) को 1995 में भूमि वापस सौंपने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पक्षों

का स्वीकृत मामला है कि संपत्ति का कब्जा राज्य द्वारा 1949 में ही ले लिया गया था जब अधिनिर्णय पारित किया गया था और भूमि 1962 में राज्य सरकार में निहित हो गई थी। उसके बाद इसे निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। मामले का यह पहलू, जो प्रश्न की जड़ तक जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।

13. यदि हम तर्क के लिए यह स्वीकार भी कर लें कि 1995 में जब भूमि वापसी का आदेश दिया गया था तब धारा 48-ख उपलब्ध थी, तब भी उत्तरदाता(ओं) का कोई पक्ष नहीं बनता है।

14. इस न्यायालय द्वारा *तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड बनाम एल. चंद्रशेखरन (मृत)* विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य, 2010 (2) एस.सी.सी. 786 में दिए गए हालिया निर्णय में यह माना गया है कि धारा 48-ख के तहत मुक्ति का आदेश दिए जाने से पहले, सरकार को यह संतुष्ट होना चाहिए कि जिस भूमि को मुक्त किया जाना है, उसकी आवश्यकता उस उद्देश्य के लिए नहीं है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था या किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है।

15. स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में ऐसी शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अपीलकर्ता-निगम का यह प्रतिवेदन है कि उन्हें चेन्नई शहर में कारों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से एक सार्वजनिक उद्देश्य है।

16. मेट्रो रेल के विद्वान अधिवक्ता ने इस आशय का एक हलफनामा दायर किया है कि सरकार अपनी चल रही परियोजना के लिए उक्त भूमि के उपयोग पर विचार कर रही है, जो कि फिर से, पूरी तरह से एक सार्वजनिक उद्देश्य है।

17. दूसरा प्रश्न यह है कि भूमि अब सरकार में निहित नहीं है क्योंकि उसने इसे

निगम को सौंपकर स्वयं को विनिवेशित कर लिया है। इसलिए, एल. चंद्रशेखरन (उपरोक्त) में बताई गई शर्तें यहाँ पूरी नहीं होती हैं। अतः, राज्य सरकार द्वारा भूमि वापसी के अपने पिछले आदेश को रद्द करने में शक्ति के प्रयोग में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता है।

18. रिट याचिकाओं में दुर्भावना या विकृति का कोई मामला नहीं बनाया गया है। उत्तरदाता(ओं) के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कथित दुर्भावना का एकमात्र मामला पेपर बुक के पृष्ठ 35 पर आधार (सी) में बनाया गया है। उक्त आधार नीचे दिया गया है:-

"भूमि वापसी के आदेश को रद्द करना शक्ति का दिखावटी प्रयोग है। जी.ओ. एमएस. संख्या 48 दिनांक 10.3.1995 में निगम के विचारों सहित सभी सामग्रियों पर विस्तार से विचार किया गया है। निगम ने कहा था कि पूरी तरह से वातानुकूलित कार्यालय सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि, सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और वापसी का आदेश दिया। आक्षेपित आदेश के अनुसार, निगम ने इसे पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। यह निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 5.6.1998 का है, जो याचिकाकर्ता से बैंकर्स देय आदेश प्राप्त होने के काफी समय बाद का है। यह निवेदन किया जाता है कि ऊपर बताए गए तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आक्षेपित आदेश बाहरी विचारों पर आधारित है और पूरी तरह से शक्ति का दिखावटी प्रयोग है।"

19. दुर्भाग्य से हमारी राय यह है कि उक्त आधार सरकार द्वारा शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का कोई मामला नहीं बनाता है। दुर्भावना का मामला बनाने के लिए विवरण के साथ विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया है उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है।

20. उपरोक्त प्रश्न के अलावा, एल. चंद्रशेखरन (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने माना कि

यदि कोई भूमि वापसी की जानी है, तो वह वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। सरकार द्वारा शुरू में दिया गया भूमि वापसी का कथित आदेश उस आधार पर भी नहीं दिया गया था।

21. इस मामले के तथ्यों में वचन विबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जो कि एक साम्यिक सिद्धांत है। मूल अधिनियम की धारा 48 के स्पष्ट प्रावधान के संदर्भ में, जो 1995 में प्रभावी था जब कथित तौर पर वापसी का आदेश दिया गया था, साम्य का कोई अनुप्रयोग नहीं है। न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के संचालन की कोई गुंजाइश है जब इसके उल्लंघन की शिकायत करने वाला व्यक्ति अपना कोई ऐसा अधिकार नहीं दिखा सकता जिसका उल्लंघन हुआ हो। मामले के दिए गए तथ्यों और मूल अधिनियम की धारा 48 के स्पष्ट अधिदेश को देखते हुए, हमें भू-स्वामियों का ऐसी भूमि के लिए वापसी का आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं दिखता है जो बहुत पहले सरकार में निहित हो चुकी थी।

22. इसलिए, मामले की सभी कोणों से जांच करने पर, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को बनाए रखने का कोई कारण नहीं दिखता है।

23. अतः, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

24. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आर.पी.

अपीलें स्वीकार की गईं।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।